भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2632
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024/ 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

एनडीपीएस अधिनियम को मजबूत करना और सीमा-पार से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना

2632 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सहयोग कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या मंत्रालय द्वारा सीमा पार से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट के खतरे से निपटने के लिए पड़ोसी देशों और वैश्विक भागीदारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने तथा स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर विभिन्न प्रयास कर रही है। इनमें से कुछ का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके दुरुपयोग को रोकने के कार्यक्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) स्थापित किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन एनकॉर्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2632

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर एनकॉर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एनएनटीएफ) गठित की गई है।

(iii) भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण एवं बड़ी जब्तियों की जांच की निगरानी के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(iv) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।

(v) तटीय क्षेत्रों और महासागरों में स्वापक मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय तटरक्षक को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(vi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा सके।

(vii) देश की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) निरंतर अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(viii) मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नार्को-तस्करी में मदद करने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी इनपुट साझा करने, मादक पदार्थों के नेटवर्क को रोकने, रुझानों, कार्यप्रणाली और नोड्स को निरंतर कैप्चर करने और डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाने तथा संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा करने पर केंद्रित है।

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2632

(ix) राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7, टोल-फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार मानस की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(x) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों में मौजूदा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

(xi) पात्र राज्यों को "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना के तहत उनकी एंटी नारकोटिक्स यूनिटों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): भारत सरकार ने सीमापार से मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और पड़ोसी देशों के साथ समन्वय हेतु अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी विभिन्न मामलों, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है, का समाधान करने के लिए म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आदि जैसे पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक भाग के रूप में, भारत ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) और रासायनिक उत्प्रेरकों की अवैध तस्करी के साथ-साथ संबंधित अपराधों से निपटने के लिए, 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों तथा 02 देशों के साथ सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iii) भारत में और विदेशी राष्ट्रों के साथ आसूचना के आदान-प्रदान और नियंत्रित आपूर्ति (सीडी) संबंधी ऑपरेशनों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

(iv) भारत अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) और पीईएन (निर्यात-पूर्व अधिसूचना), पीआईसीएस (उत्प्रेरकों की घटना संबंधी संचार प्रणाली) और आईओएनआईसीएस (मनोवैज्ञानिक पदार्थों की घटना संबंधी नई संचार प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन) जैसे इसके सभी कार्यक्रमों के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है।

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2632

(v) मादक पदार्थों की राष्ट्र-पारीय तस्करी से निपटने के लिए सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसेकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन-ड्रग ओफेंसिज मॉनीटरिंग डेस्क (सार्क-एसडीओएमडी), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलम्बो प्लान, दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान), आसियान सीनियर ऑफिशियल ऑन ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिमस्टेक), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) आदि के साथ समन्वय भी करता है।

(vi) ऑपरेशनल और आसूचना संबंधी जानकारी के लिए एनसीबी, भारत अन्य देशों के विभिन्न मादक पदार्थ संपर्क (लाइजन) अधिकारियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसी (डीईए), नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ दी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी), ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (एएफपी), फ्रांस की ऑफिस एंटी-स्टुपेफिएंट (ओएफएएसटी) आदि के साथ रियल टाइम सूचना का आदान-प्रदान करता है।

(vii) समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, चुनौतियों और समाधानों (समुद्री सुरक्षा समूह-एनएससीएस) का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह का गठन किया गया है।

******